सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –18.07.2024

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचनाएवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 02 अभियोगों में 03 अभियुक्तगण को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विभिन्न मुकदमों में सजा पाये अभियुक्तगणों का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – कोतवाली कालपी में मु0अ0सं0 192/2018 (वाद संख्या – 180/2018) धारा 376/452/506 भादवि बनाम राहुल पुत्र रामऔतार नि0 ग्राम देवकली थाना कालपी जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो कोर्ट उरई, जालौन द्वारा अभियुक्त राहुल उपरोक्त को दोषी पाते हुये 08 वर्ष का कारावास एवं 28,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय – थाना कैलिया में मु0अ0सं0 729/2013 (वाद संख्या – 68/2018) धारा 498ए/304बी/302 भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट बनाम 1. राहुल कुमार पुत्र सुम्मालाल 2. रामश्री पत्नी सुम्मालाल निवासीगण ग्राम पहाडगांव थाना कैलिया जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। मा0 न्यायालय एडीजे स्पे0 डकैती कोर्ट उरई, जालौन द्वारा अभियुक्त 1. राहुल 2. रामश्री उपरोक्त को धारा 498ए भादवि व ¾ डी.पी. एक्ट में दोषी पाते हुये प्रत्येक को 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।